राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11533/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
पिंटू आत्मज छोटा सोगरिया तहसील, लाडपुरा कोटा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री महेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, सी.आई.डी. (सीबी) एवं श्री गजेन्द्र सिंह कांस्टेबल उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 24-9-16 डी.जी.पी. पुलिस मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा डी.जी.पी. को पूर्व प्रेषित परिवाद दिनांक 20-7-16 की सम्पूर्ण प्रतियां, कार्यवाही सहित चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि सूचना आयोग से द्वितीय अपील का नोटिस प्राप्त होने पर उक्त अपील मय संलग्नक पत्र दिनांक 5-12-17 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), कोटा शहर, कोटा को प्रेषित कर दिया गया था क्योंकि उनके द्वारा आवेदन में चाही गई सूचना अपीलार्थी को पत्र दिनांक 14-10-16 से प्रेषित कर पावती प्राप्त कर ली गई थी।

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कोटा शहर से उपस्थित कांस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि पूर्व में भी अपीलार्थी का उक्त आवेदन उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में वर्णित सूचना पत्र दिनांक 14-10-16 से प्रेषित की जा चुकी थी तदानुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर द्वारा निर्णय दिनांक 5-12-16 से अपील का निस्तारण करते हुए अपील खारिज कर दी गई। इस संबंध में सूचना आयोग के समक्ष भी द्वितीय अपील संख्या 8521/2017 पंजीकृत कर निर्णय दिनांक 22-8-17 के द्वारा वांछित सूचना प्रदान कर दिये जाने के कारण खारिज कर दी गई थी। हस्तगत अपील में प्रस्तुत आवेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सूचना शुल्क जमा करवाने हेतु संसूचित किया गया एवं सूचना शुल्क जमा करवाने के पश्चात उन्होंने कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 8-11-16 को सूचना प्राप्त कर ली।

6. आयोग के नोटिस के संदर्भ में कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कोटा शहर ने अपीलोत्तर दिनांक 26-10-17 एवं 21-12-17 प्रस्तुत किये हैं जिनकी प्रतियां अपीलार्थी को भी मय संलग्नक पृष्ठांकित की है। प्रस्तुत अपीलोत्तर एवं संबंधित संलग्नकों से प्रत्यर्थी एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी (मुख्यालय) कोटा शहर की ओर से पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के आवेदन पर प्रत्यर्थी पक्षकारान द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है। हस्तगत अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने एवं अपीलार्थी द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त